न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./715/20/अजमेर (2020/00715)

विभागीय अपील द्वारा श्री सुभाष चन्द तत्कालीन पटवारी लामाना हाल भू. अ. निरीक्षक तहसील पीसांगन जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 04–04–2000 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री सुभाष चन्द तत्कालीन पटवारी लामाना हाल भू.अ. निरीक्षक तहसील पीसांगन जिला अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 20.03.2020

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर के आदेश दिनांक 04–04–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 29–10–1999 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 17 सीसीए मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

आप स्वेच्छा से अपने हलके में 25–6–99 से 26–6–99 तक अनुपस्थित रहे यह कार्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 2

अनुसूचित जाति व ग्राम के अन्य समुदायों में बिन्दोरी (शादी) को लेकर तनाव उत्पन्न होने पर आप द्वारा इसकी सूचना तहसील कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की। यह कार्य आपकी संवेदनशील मामले के प्रति लापरवाही व उदासीनता प्रतीत होती है, जो दण्डनीय है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 04–12–1999 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर उनके विरूद्ध दोनों आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के उक्त दण्डदेश दिनांक 04–04–2000 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया।

अपचारी पटवारी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर पक्ष रखते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के उक्त दण्डादेश दिनांक 4–4–2000 की अपील तत्समय नहीं कर सका। उक्त मामलें में तकनीकी एवं सारभूत विधिक बिन्दु निहित होने के कारण यह अपील अब पेश कर रहा हूं जिस पर गुणावगुणों के आधार पर अपील में हुई देरी को क्षमा करते हुए मियाद में मानकर निर्णय करने का निवेदन किया गया। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी के द्वारा मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं कार्मिक विभाग जयपुर द्वारा प्रेषित आदेशों एवं परिपत्रों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपचारी पटवारी द्वारा सुनवाई के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या एक के संबंध में कथन किया कि अपीलांट दिनांक 25–6–99 को अपने हल्के में उपस्थित था और बाद में आवश्यक राजकीय कार्य से तहसील मुख्यालय पर गया था जहां उन्होंने अपनी पुरानी रसीद बुक का नवीनीकरण कराया, सीमाद्योतक चिन्ह जमाबंदी वगैरह के आवश्यक फार्म लिये और सहायक आफिस कानूनगों द्वारा बताये गये कार्य सम्पादित किये। इसी दिनांक को ग्राम पंचायत लामाना की बैठक में नामान्तरकरण प्रस्तुत किया जिसमें उगमा पुत्र काना रावत साकिन लामाना ने

खसरा नम्बर 1605 में से 1/2 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 1606 में से 1/2 हिस्सा प्रेम सिंह पुत्र हरजी रावत को बेचान करने के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 25–6–99 को सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा मंजूर किया गया।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने उक्त आरोप के प्रतिउत्तर के साथ रसीद बुक संख्या 66225 क्रम संख्या 39 दिनांक 26–6–99 की छाया प्रति प्रस्तुत की जिसे उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में भी माना है। अपीलांट ने दिनांक 26–6–99 की नकल दैनिक डायरी भी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेज से इस बात की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी ने दिनांक 25 व 26–6–99 तक अपने हलके पर उपस्थित रहकर राजकीय कार्य किया है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या दो के संबंध में कथन किया कि ग्राम लामाना में अनुसूचित जाति के दूल्हे की बारात को लेकर एक बार पूर्व में तनाव उत्पन्न हुआ था जिसकी सूचना उन्होंने तहसील कार्यालय में तत्समय दे दी थी एवं प्रशासन का सहयोग किया था। इस बार ग्राम में अनुसूचित जाति की श्रीमति मैना देवी के पुत्र शिवराज की बिन्दोरी को लेकर ग्राम के समुदायों के बीच दिनांक 26–6–99 को सांयकाल तक किसी प्रकार का तनाव नहीं था ग्राम वासियों ने अपीलार्थी को किसी तरह के तनाव की आशंका के बारे में नहीं बताया एवं न ही मैना देवी के परिवार ने पटवारी हलका की हैसियत से पटवारी को लिखित सूचना ही दी। वैसे भी प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकार की सूचना देने की कार्यवाही पटवारी स्तर से नहीं की जाकर पंचायत अथवा सरपंच स्तर पर ही की जाती है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी पुलिस थाने की होती है। इस कार्यवाही के लिए पटवारी को किसी भी स्थिति में दोषी नहीं माना जा सकता है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय में दिनांक 25–6–99 को अनुपस्थित रहने का एक आधार यह भी माना है कि प्रार्थी ने स्वयं अपने जवाब में स्वीकार किया है कि वह दिनांक 26–6–99 को सांयकाल आवश्यक कार्य से मुख्यालय से घर चले गये थे। उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी के जवाब का गलत अर्थ निकालकर यह निष्कर्ष दिया है कि प्रार्थी के विरूद्ध मुख्यालय से घर चले जाने का कोई आक्षेप नहीं लगाया गया था। इसलिए उपखण्ड अधिकारी का यह निष्कर्ष स्वतः ही शून्य हो गया है। जहां तक प्रार्थी के सांयकाल आवश्यक कार्य होने से मुख्यालय से घर चले जाने का प्रश्न है तो इस बारे में प्रार्थी स्पष्ट करना चाहता है कि प्रार्थ अपने पदस्थापित हलके पर निवास

करता था एवं सांयकाल कार्यालय समय समाप्त होने के पश्चात वह पटवार घर से अपने निवास के मकान में जाता था। दिनांक 26.06.1999 को भी अपीलार्थी पटवार घर से अपने मुख्यालय में स्थित आवास पर चला गया था। वास्तव में प्रार्थी ने मुख्यालय नहीं छोड़ा था। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपीलार्थी को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया है जिससे प्रार्थी को मिलने वाले चयनित वेतनमान का लाभ आगे खिसक गया है। इससे प्रार्थी को निरन्तर आर्थिक हानि हो रही है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दण्डदेश जारी करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि नियमों के तहत दण्डादेश पारित करने से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक माना गया है तथा न ही आरोपों की सत्यता की जांच करने हेतु जांच अधिकारी ही नियुक्त किया गया था। अतः उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 4–4–2000 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई जिस पर उन्होंने अपने पत्र क्रमांक उखअ/संस्था/ जांच/ 2020/155 दिनांक 23–1–2020 से अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध नियम 17 सीसीए के तहत आरोप संख्या 1 व आरोप संख्या 2 जारी किये गये है। अपीलार्थी का कथन कि दण्डादेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो गलत है।

अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि दैनिक डायरी नकल अनुसार दिनांक 25–6–99 को तहसील कार्यालय में उपस्थिति के प्रमाण अनुसार सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा रसीद संख्या 66225/39 पर निक्षेपकर्ता का नाम एवं यथा स्थान उसके हस्ताक्षर अंकित नहीं कराये गये है ऐसी स्थिति में उन्हें दिनांक 25 व 26–6–99 को राजकार्य पर उपस्थित नहीं माना गया है। राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स (मेन्यूअल) अनुसार कार्मिक की दैनिक डायरी में उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर अंकित नहीं है। दिनांक 27–6–99 को ग्राम लामाना में अनुसूचित जाति के व्यक्ति शिवराज की बिन्दोरी के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी ग्राम के समुदायों के मध्य संभावित घटना के सन्दर्भ में ग्राम लामाना पहुंचे इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम में घटना घटित होने की प्रबल संभावना थी जिसकी रिपोर्ट भी अपीलार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 4–4–2000

विधिसम्मत है। अपीलार्थी के विरूद्ध दोनों आरोप उनके विरूद्ध सिद्ध पाये जाने से परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा लगभग 19 वर्षो से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर अपील प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपीलार्थी के विरूद्ध दो आरोप आयत कर अपीलार्थी को आरोपित किया गया। **आरोप संख्या–1** में अपीलार्थी के स्वेच्छा से अपने हलके में 25–6–99 से 26–6–99 तक अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया है जबकि अपीलार्थी स्वयं दिनांक 25–6–99 को एवं 26–6–99 उक्त दो दिवस के दौरान अपने हलके में रहकर लगान वसूली का कार्य किया है जिसकी पुष्टि नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 5–12–99 की पुस्त पर अंकित टिप्पणी से होती है। साथ ही दैनिक डायरी दिनांक 26–6–99 में पटवारी हलका द्वारा काश्तकारों से लगान की वसूली किये जाने का उल्लेख है।

अपीलार्थी पर आयत **आरोप सख्या–2** में अनुसूचित जाति एवं ग्राम में अन्य समुदायों में बिन्दोरी को लेकर तनाव उत्पन्न होने संभावना की रिपोर्ट तहसील में प्रस्तुत नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया है जबकि उक्त दिनांक को बिन्दोरी के दौरान कोई तनाव हुआ हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा न ही किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा तहसील कार्यालय या उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तनाव उत्पन्न होने बाबत कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया है। केवल मात्र संभावना के आधार पर किसी कार्मिक को दण्ड देना विधिसम्मत नहीं है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने दण्डादेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था जो अपीलार्थी के कथनानुसार नहीं किया गया तथा न ही अपीलार्थी पर लगाये गये आरोपों की जांच करने हेतु जांच अधिकारी ही नियुक्त किया जिससे आरोपों की सत्यता सिद्ध हो सके।

उपरोक्त विवेचन व विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी पर आरोप प्रमाणित नहीं होने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 04–04–2000 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश–उखअ/विजा/27 दिनांक 04–04–2000 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर